पत्रांक–भवन/बजट–74–यो० (वि.प्रा.वि.)–03/2018–19..... 9969 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 23/10/26

विषय– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी षिक्षा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2026–27** में कुल ₹ **13,63,50,835/–(तेरह करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार आठ सौ पैंतीस रूपए)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी षिक्षा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ **13,63,50,835/–(तेरह करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार आठ सौ पैंतीस रूपए)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026–27** में प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, गयाजी	35020	गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया के परिसर में वास्तुकला विभाग भवन एवं अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (जी+5) तथा 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (जी+3) का निर्माण कार्य	4532/19.08.25	₹9,63,50,835/- (नौ करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार आठ सौ पैंतीस रूपये)
2.	संरचना प्रमंडल संख्या-02, पटना	34539	Detail Design, Fabrication, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Exhibits & Audio Visual System with Content Production for the Taramandal-Cum-Science Museum, Darbhanga, Bihar	5396/06.10.25	₹4,00,00,000/- (चार करोड़ रूपये)
योग:–					**₹13,63,50,835/–**

(तेरह करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार आठ सौ पैंतीस रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0117–इंजिनियगि/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) **कोड–03–4059800510117** के विषयशीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0117.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2026–27** में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 9969 (भ) पटना, दिनांक– 23/10/26

प्रतिलिपि–सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।